न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	दायरा तिथि	निर्णय तिथि
27/2018	धारा 212 RTA	16.08.2018	18.09.2018

रामगोपाल पुत्र स्व. बालाबक्स पोद्दार जाति अग्रवाल पता रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.) वर्तमान पता प्रीतमपुरा, नई दिल्ली —प्रार्थी—

बनाम

1. नगरपालिका रतननगर जरिये अध्यक्ष, नगरपालिका रतननगर, तहसील व जिला चूरू
2. नगरपालिका रतननगर जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका रतननगर, तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू —अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त शीर्षक वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसमें सफलता मिलने की प्रार्थी को पूर्ण उम्मीद है। यह कि प्रार्थी मूल रूप से कस्बा रतननगर, तहसील व जिला चूरू (राज.) का निवासी है जो वर्तमान में कारोबार के कम में नई दिल्ली रिहायश किया करता है। यह कि प्रार्थी व उसके पूर्वजों की अनेकों कृषि भूमियां व अचल सम्पत्तियां पूर्व समय से कस्बा रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.) में अवस्थित चली आ रही हैं जिन सम्पत्तियों में से खसरा संख्या 891 की 0.0126 हैक्टेयर कृषि भूमि रोही मौजा कस्बा रतननगर में अवस्थित है जो पूर्व में वादी के पिता के बालाबक्श पुत्र सुन्दरमल अग्रवाल पौद्दार उर्फ बागा वल्द सुन्दरमल के नाम दर्ज रही है। यह कि उक्त खसरा संख्या 891 की कृषि भूमि से चिपते ही खसरा संख्या 892 की 3 बीघा 2 विश्वा कृषि भूमि भी अवस्थित है जिनके नजदीक से आवागमन हेतु रास्ता भी मौजूद है, ये दोनों कृषि भूमियां राजस्व नक्शा में एक साथ दर्ज चली आ रही हैं। यह कि उपर वर्णित कृषि भूमियों में से खसरा संख्या 891 की भूमि गैर मुमकिन कुआ के रूप में वर्तमान में प्रार्थी के नाम से खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जो पूर्व में प्रार्थी के पूर्वजों के नाम से दर्ज रही है तथा इस कृषि भूमि पर वर्षों पूर्व निजी तौर पर कुए का निर्माण प्रार्थी व उसके पूर्वजों द्वारा करवाया गया था जो वर्तमान में भी मौजूद है तथा कुए के साथ ही पानी के जलाशय (टंकी) का निर्माण भी करवाया गया था व कुए की उतरी दिशा में कुए की सारण भी मौजूद चली आ रही है। यह कृषि भूमि वर्तमान में अकेले प्रार्थी के खातेदारी, कब्जा व हक अधिकार की सम्पत्ति है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक अधिकार व हिस्सा मौजूद नहीं है। यह कि अप्रार्थीगण नगरपालिका रतननगर व राज्य सरकार द्वारा गलत रूप से प्रार्थी के बाहर रहने का अनुचित लाभा उठाते हुए बिना प्रार्थी को सूचित किये व अवैध प्रकिया अपनाते हुए वर्तमान में लगभग चार माह पूर्व प्रार्थी के खातेदारी, कब्जा हक अधिकार की इस राजस्व कृषि भूमि में अवैध रूप से अम्बेडकर सामुदायिक भवन का निर्माण करने हेतु उद्घाटन कर मौके पर कार्य चालू करवा दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह कि कस्बा रतननगर में रहने वाले प्रार्थी के कारकून व जानकार अन्य व्यक्तियों से प्रार्थी को जब अप्रार्थीगण के इस गलत कृत्य की जानकारी हुई तो प्रार्थी के मुख्त्यार श्री राजकुमार नाई द्वारा मौखिक रूप से अप्रार्थीगण को इस बाबत आपत्ति की गई तो उन्होंने प्रार्थी के मुख्त्यार को झूठा आश्वासन देते हुए विवाद का निपटारा होने से पूर्व आगामी कोई निर्माण कार्य न करने का आश्वासन उसे दिया परन्तु कुछ समय पश्चात् पुनः अप्रार्थीगण द्वारा निर्माण कार्य मौके पर चालू करवा दिया गया जिस पर पुनः लिखित में आपत्ति की गई तो अप्रार्थीगण ने निर्माण कार्य रोकने से इन्कार कर दिया। यह कि इस पर प्रार्थी द्वारा सम्बन्धित भूमि के दस्तावेजात प्राप्त किये गये तो प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि खसरा संख्या 891 व खसरा संख्या 892 की कृषि भूमि का राजस्व नक्शा एक साथ दर्ज चला आ रहा है जिस बात का फायदा उठाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के खातेदारी व हक अधिकार की खसरा संख्या 891 की इस भूमि में भी निर्माणाधीन भवन का निर्माण आरम्भ कर रखा है व मुख्य द्वार व निर्माण खसरा संख्या 891 (कुए की सारण) में करवा लिया गया है तथा आगे भी निर्माण अवैध रूप से चालू कर रखा है। यह कि अप्रार्थीगण द्वारा गलत रूप से प्रार्थी की वादगत कृषि भूमि में विवादित अम्बेडकर सामुदायिक भवन का निर्माण जोर शोर से चालू करवा रखा है तथा अप्रार्थीगण येन केन प्रकारेण यह निर्माण पूर्ण करने पर तथा प्रार्थी के हक अधिकार की सम्पत्ति पर अवैध कब्जा करने पर आमादा हैं जबकि अप्रार्थीगण को प्रार्थी के खातेदारी, कब्जा व हक अधिकार की इस भूमि में अवैध रूप से निर्माण करवाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी के बाहर रहने का फायदा उठा अप्रार्थीगण व अन्य व्यक्ति प्रार्थी की यह सम्पत्ति हड़प कर लेना चाहते हैं जो विधिक रूप से भी अनुज्ञेय नहीं है। जब प्रार्थी द्वारा अपने मुख्त्यार के जरिये इस बाबत आपत्ति की गई तो अप्रार्थीगण नहीं माने व दिनांक 01.08.2018 को इस हेतु स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये जिस पर अन्य कोई विकल्प शेष न रहने पर मजबूरन प्रार्थी को अपने हितों की रक्षार्थ यह वाद तथा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है। यह कि वांदगत सम्पत्ति प्रार्थी के खातेदारी, हक अधिकार की सम्पत्ति होने से इस भूमि के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में पूर्ण रूप से प्रमाणित है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा गलत व अनुचित रूप से जबरन प्रार्थी की इस भूमि पर निर्माण पूर्ण करवा लिया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति पहुंचेगी तथा उसे अपनी खातेदारी व हक अधिकार की सम्पत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। जिस कारण अपूर्णिय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में पूर्णतया प्रमाणित है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में पूर्णतया प्रमाणित है क्योंकि यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि में अवैध निर्माण करवा लिया जाता है तो प्रार्थी को घोर असुविधा पहुंचेगी।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मूल वाद के लम्बित रहते अप्रार्थीगण को जरिये अस्थार्ठ निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद व प्रार्थना पत्र में अन्तर्वलित वादगत खसरा संख्या 891 रोही रतननगर जिला चूरू की भूमि में किसी प्रकार का अवैध अतिकमण अथा निर्माण कार्य न करें, न अन्य किसी से करवायें, ना ही ऐसा कोई कार्य ही करें कि जिससे प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर प्ड़ता हो तथा मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत् बनाये रखें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार को होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से श्री भंवरलाल दईया एडवोकेट एवं अप्रार्थी सं. 3 की ओर से पैरोकार राज नायब तहसीलदार, चूरू उपस्थित हुए एवं जवाब हेतु समय चाहा जो दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रा0पत्र की मद सं. 1 में वर्णित वाद माननीय न्यायालय में पेश होना स्वीकार है जिसमें प्रार्थी को सफलता की कोई उम्मीद नहीं है। प्रा0पत्र की मद सं. 2 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है जिसे प्रार्थी स्वयं अपने स्तर पर साबित करे। प्रा0पत्र की मद सं. 3 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, अस्वीकार है। वादगत भूमि खसरा संख्या 891 तादादी 0.0126 हैक्टेयर भूमि कृषि भूमि नहीं होकर गैर मुमकिन कुआ की भूमि है जो कुआ सार्वजनिक उपयोग व उपभोग का सदैव से रहा है। जिस पर आज तक किसी का मालिकाना हक नहीं रहा है। सार्वजनिक उपयोग व उपभोग का कुआ होने से सरकारी सम्पत्ति है जिस पर मालिकाना हक भी नगरपालिका रतननगर का है। प्रार्थी के नाम खातेदारी गलत रूप से दर्ज है जिस गलत खातेदारी को निरस्त कराने हेतु भी अलग से कार्यवाही की जावेगी। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 में वर्णित खसरा संख्या 891 की भूमि से चिपते खसरा संख्या 892 की 3 बीघा 2 विश्वा कृषि भूमि अवस्थित होना स्वीकार है जो भूमि अप्रार्थीगण नगरपालिका रतननगर की भूमि है जिनके नजदीक से आवागमन का रास्ता न होकर पश्चिम की तरफ रतननगर से रामगढ की तरफ जाने वाली पक्की सड़क है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 5 गलत वर्णित होने से अस्वीकार है। वादगत भूमि ख.नं. 891 में गैर मुमकिन कुआ के रूप में सार्वजनिक उपयोग व उपभोग का कुआ रहा है जो कुआ सार्वजनिक सम्पत्ति होने से सरकारी सम्पत्ति है और सरकारी सम्पत्ति होने से नगरपालिका रतननगर की भूमि रही है। कुआ कभी भी प्राईवेट नहीं रहा है। इस कुआ के सार्वजनिक सम्पत्ति होने से प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं रहा है।

यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 6 गलत वर्णित होने से अस्वीकार है अम्बेडकर सामुदायिक भवन का निर्माण खसरा नं. 892 में किया जा रहा है जो किसी प्रकार से अवैध नहीं है। करा रहे हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 7 जिस प्रकार से वर्णित की गई है अस्वीकार है। अप्रार्थीगण नगरपालिका खसरा नं. 892 में उक्त अम्बेडकर सामुदायिक भवन का निर्माण करा रहे हैं। इस मद में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को रंग देने के लिए झूठे तथ्य दर्ज किए हैं। यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 8 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, अस्वीकार है। अम्बेडकर सामुदायिक भवन ख.नं. 892 में निर्मित किया जा रहा है। वैसे भी ख.नं. 891 गैर मुमकिन कुआ की भूमि है जो सार्वजनिक उपयोग व उपभोग का रहा है और सरकारी सम्पत्ति है जो भी नगरपालिका की सम्पत्ति रहा है। यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 9 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, अस्वीकार है। अम्बेडकर सामुदायिक भवन का निर्माण खसरा नं. 892 में किया जा रहा है जिसे रूकवाने का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। वैसे भी ख.नं. 891 गैर मुमकिन कुआ भी सार्वजनिक उपयोग व उपभोग का होने से सरकारी सम्पत्ति रहा है जो भी नगरपालिका की सम्पत्ति है। यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 10 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, अस्वीकार है। प्रार्थी के हक में कोई प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त नहीं है। अप्रार्थी सं. 2 ने जवाब की विशेष आपत्तियों में अंकित किया कि अम्बेडकर सामुदायिक भवन का निर्माण खसरा नं. 892 में किया जा रहा है जो अप्रार्थी नगरपालिका रतननगर की खातेदारी भूमि है। यह भवन काफी निर्माण कार्य होकर तैयार होने के करीब है जिसके निर्माण पर राज्य सरकार ने लाखों रूपये खर्च कर निर्मित करा रहे हैं जो भवन सार्वजनिक हितार्थ बनाया जा रहा है जिससे रतननगर के आसपास के लोगों को सुविधा मिल सकेगी।

यह कि ख.नं. 891 गैर मुमकिन कुआ है जो भी सार्वजनिक उपयोग व उपभोग का रहा है जो सरकारी सम्पत्ति है जिस कारण नगरपालिका रतननगर के अधिकार क्षेत्र की सम्पत्ति है मात्र अवैध रूप से खातेदारी चढने से प्रार्थी मालिक नहीं हो जाता है जिस अवैध खातेदारी को निरस्त कराने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। यह कि प्रार्थी इस दावा

उपखण्ड अधिकारी

व प्रार्थना पत्र की आड़ में सार्वजनिक उपयोग व उपभोग की गैर मुमकिन कुआ की भूमि का झूठा मालिक कनने की फिराक में है व सरकारी सम्पत्ति हड़पने का कुटिल प्रयास है। यह कि वादगत भूमि ख.नं. 891 गैर मुमकिन कुआ है जो किसी प्रकार से कृषि भूमि नहीं है। इसलिए कृषि भूमि नहीं होने से ऐसा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं. 3 तहसीलदार, चूरू की ओर से जवाब पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल मिसल किया। वकील प्रार्थी ने सूची के संलग्न वादगत भूमि के छायाचित्र पेश किये एवं वकील अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने सूची के संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 खाता सं. 421 कस्बा रतननगर की प्रमाणित प्रति व स्वायत शासन विभाग के आदेश कमांक 13358 दिनांक 16.08.18 की छाया प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

अप्रार्थी सं. 3 की ओर से पेश जवाब में अंकित किया कि प्रा0पत्र की मद सं. 1 में वर्णित दावा माननीय न्यायालय में पेश होना स्वीकार है अपितु प्रार्थी को इसमें सफलता की कोई गुंजाईश नहीं है। प्रा0पत्र की मद सं. 2 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रा0पत्र की मद सं. 3 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, अस्वीकार है। वादगत भूमि ख.नं. 891 की 0.0126 हैक्टेयर भूमि वाके रोही कस्बा रतननगर तहसील व जिला चूरू की गैर मुमकिन कुआ की भूमि है, जो कृषि भूमि नहीं है। इसमें मात्र एक जीर्ण शीर्ण कुआ बना हुआ था जो सार्वजनिक उपयोग व उपभोग में आने वाला सार्वजनिक हित का कुआ है, रहा है जो किसी के निजी स्वामित्व का नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 जिस प्रकार से वर्णित की गई है अस्वीकार है। ख.नं. 891 की भूमि के चिपते ही उतरी तरफ ख.नं. 892 की भूमि अवस्थित है। ख.नं. 892 की भूमि के पश्चिमी तरफ रतननगर से रामगढ की ओर जाने वाली पक्की सड़क है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 5 गलत वर्णित होने से अस्वीकार है। वादगत भूमि ख.नं. 891 की भूमि गैर मुमकिन कुआ की भूमि है जो कृषि भूमि नहीं है। इस भूमि में सार्वजनिक उपयोग व उपभोग का सार्वजनिक हित का कुआ बना हुआ है जो प्रचलित कानून के अनुसार सरकारी सम्पत्ति है व सरकारी सम्पत्ति होकर नगरपालिका रतननगर की है। जिस पर किसी का व्यक्तिगत हक व अधिकार नहीं हो सकता है।

यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 6 गलत वर्णित होने से अस्वीकार है अम्बेडकर सामुदायिक भवन का निर्माण ख. नं. 1184/892 तादादी 0.3920 वाके रोही कस्बा रतननगर में किया जा रहा है जो खसरा नगरपालिका रतननगर की खातेदारी का है, जिसमें किसी अन्य को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 7 गलत वर्णित होने से अस्वीकार है। प्रार्थी को कोई आश्वासन अप्रार्थी सं. 3 द्वारा नहीं दिया गया। यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 8 गलत वर्णित होने से अस्वीकार है। वादगत अम्बेडकर सामुदायिक भवन का निर्माण ख.नं. 1184/892 तादादी 0.3920 हैक्टेयर वाके रोही रतननगर में किया जा रहा है। अम्बेडकर भवन के मुख्य द्वार के आगे पश्चिम में पक्की सड़क है जो रतननगर से रामगढ को जाने वाली एप्रोच रोड़ है। यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 9 जिस तरह से वर्णित किया गया है, अस्वीकार है। अम्बेडकर सामुदायिक भवन का निर्माण ख.नं. 1184/892 में हो रहा है जो भवन तैयारी पर है जो भूमि नगरपालिका रतननगर की है जिसके एतराज करने का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 10 गलत वर्णित होने से अस्वीकार है। प्रार्थी के हक में कोई प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन वा अपूर्तिय क्षति का मामला नहीं है बल्कि अम्बेडकर सामुदायिक भवन सार्वजनिक हितार्थ बनने से आम नागरिक के सुविधा होगी व जन कल्याण में काम आ सकेगा।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अप्रार्थी सं. 3 ने अपने जवाब की विशेष आपत्तियों में अंकित किया कि वादगत अम्बेडकर सामुदायिक भवन का निर्माण राज्य सरकार लाखों रूपये खर्च कर ख.नं. 1184/892 में करवा रही है जो निर्माण काफी हो चुका है। यह कि वादगत ख.नं. 891 गैर मुमकिन कुआ की भूमि है जो भूमि सार्वजनिक कुआ बनाने हेतु तत्समय सार्वजनिक हितार्थ कुआ बनाने हेतु सामाजिक संस्था को आवंटित की गई थी। जो कुआ सार्वजनिक उपयोग व उपभोग का रहा है जिस कुआ की भूमि को निमानुसार संबंधित संस्था को नगरीय निकाय/राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित करना था जो अभी तक आवंटियों द्वारा नहीं किया गया। ऐसी सम्पतियों का स्वामित्व संबंधित नगरीय निकाय का रहेगा। जिस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार का आदेश कमांक 13358 दिनांक 16.08.18 से स्पष्ट है जिसके अनुसार प्रार्थी के नाम गलत चढी खातेदारी को प्रार्थी द्वारा समर्पित की जानी है यदि समर्पण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार खातेदारी निरस्त की कार्यवाही की जानी है। यह कि वादगत भूमि कृषि भूमि नहीं है गैरमुमकिन कुआ भूमि है जो माननीय न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार में नहीं है। यह कि कानूनन ऐसा दावा व प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का दो माह का नोटिस राजस्थान सरकार को दिया जाना आवश्यक है जो नहीं दिया गया है इसलिए इस अभाव में यह प्रकरण चलने योग्य नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश होने पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 891 तादादी 0.0126 हैक्टेयर रोही रतननगर सैटलमेण्ट के समय प्रार्थी के पूर्वजों के नाम रही है तथा अब वादी रामगोपाल के नाम है। उक्त ख.नं. 891 से सटी ख.नं. 892 में नगरपालिका रतननगर द्वारा सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। राजस्व नक्शा में ख.नं. 891 व 892 संयुक्त रूप से चले आ रहे हैं। नगरपालिका द्वारा ख.नं. 891 पर नाजायज अतिकमण करके सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया जा रहा है जिस हेतु प्रार्थी न दावा व यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया है। ख.नं. 892 में निर्माण करने में हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। हम तो केवल अपनी भूमि की रक्षा चाहते हैं। नगरपालिका व राजस्थान सरकार ने जवाब में उक्त भूमि को सार्वजनिक बताते हुए प्रार्थी को अधिकार नहीं होना एवं कुंआ सार्वजनिक सम्पत्ति होने से स्वामित्व राज्य सरकार का होना अंकित किया है तथा हमें विकास में बाधा बताया है परन्तु उक्त भूमि के सार्वजनिक कुंआ होने के पक्ष में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। अप्रार्थीगण भविष्य की बात कर रहे हैं, खातेदारी निरस्त करवाना चाहते हैं तथा निर्माण ख.नं. 892 में करना बता रहे हैं। इनके द्वारा विवादित कुंआ को सार्वजनिक बताने के सन्दर्भ में मैंने मौके के फोटो पेश किये हैं। उक्त कुंआ की भूमि मेरी खातेदारी की है। अतः मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ख.नं. 891 की हद तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किये जावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने बहस में जाहिर किया कि अम्बेडकर सामुदायिक भवन का निर्माण ख.नं. 892 में किया जाना इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है तो दावा लाना ही व्यर्थ है। ख.नं. 892 नगरपालिका रतननगर की खातेदारी में है इसलिए उक्त खसरे पर कोई विवाद नहीं बनता है। ख.नं. 891 में भूमि केवल कुंए जितनी ही है जो किसी भी तरह से कृषि भूमि नहीं है। यह तथ्य भी जाहिर है कि प्रार्थी का ख.नं. 891 पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। कुंआ की किस्म गैर मुमकिन है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कवर नहीं होता है। जहां राज्य सरकार का हित प्रभावित होता है वहां धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है जबकि यहां कोई नोटिस नहीं दिया गया है। वर्तमान

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

में अम्बेडकर भवन का निर्माण पूर्ण होने वाला है। इन्होंने निर्माण आरम्भ होने के समय कोई आपत्ति नहीं की, जिससे जाहिर है कि इनकी मन्शा केवल निर्माण कार्य को बाधित कर विकास कार्य को रूकवाने की है। हमने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16.08.2018 की प्रति भी पेश की है। इसलिए उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में किसी भी तरह से नहीं है। अतः प्रार्थना खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी ने पुनः कथन किया कि अप्रार्थीगण की ओर से पेश आदेश उस भूमि पर लागू होता है जो सार्वजनिक संस्थाओं को आवंटित की गई हो। हमने धारा 80 सी.पी. सी. का प्रार्थना पत्र मूल दावा में पेश किया है। विवादित भूमि प्रार्थी की एकल खातेदारी की है हमें ख.नं. 891 की हद तक रिलीफ चाहिए, ख.नं. 892 के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष मय पैरोकार राज की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। छाया प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम रतननगर ख.नं. 891 तादादी 0.0126 हैक्टेयर किस्म गै.मु. कुआ वर्तमान में प्रार्थी खातेदार अंकित है। छाया प्रति नक्शा ख.नं. 892 सन् 1968–69 रोही ग्राम रतननगर में विवादित ख.नं. 891 भी दर्शित है। छाया प्रति पर्चा खतौनी भू–प्रबन्ध विभाग कस्बत रतननगर के खाता सं. 261 ख.नं. 891 कुआ तादादी 0.01 बीघा किस्म गैर मु. कुआ बागा वल्द सुन्दरमल कौम बानिया अग्रवाल सा.देह खातेदार के साथ रामगोपाल वल्द बालाबक्स कौम महाजन सा.देह खातेदार अंकित है। छाया प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2055 में भी प्रार्थी की खातेदारी अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम रतननगर खाता सं. 421 में कुल 64 खसरों के साथ ख.नं. 1184/892 तादादी 0.3920 हैक्टेयर किस्म चाही अंकित है जिसकी खातेदारी नगरपालिका रतननगर के नाम दर्ज है। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 16.08.2018 भी देखा गया जो सार्वजनिक संस्थाओं को आवंटित भूमियों के सम्बन्ध में जारी किया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा पेश वादगत ख.नं. 891 के छाया चित्रों का भी अवलोकन किया गया जिसमें उक्त कुआ के आगे बांयीं तरफ शिलान्यास स्तम्भ मय पट्टिका अवस्थित है।

पत्रावली मय दस्तावेजात के अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष द्वारा की गई बहस के तथ्यों पर मनन से यह परिलक्षित होता है कि वादगत ख.नं. 891 प्रार्थी की खातेदारी का अवश्य है परन्तु उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन कुआ है जो किसी भी तरह से कृषि भूमि नहीं है। उक्त भूमि मात्र 01 विश्वा भूमि है जिसमें कुआ निर्मित होना प्रत्यक्ष है जबकि नगरपालिका रतननगर द्वारा ख.नं. 1184/892 में कराये जा रहे अम्बेडकर सामुदायिक भवन का निर्माण ख.नं. 1184/892 में करवाये जाने का तथ्य वकील प्रार्थी ने स्वयं स्वीकार किया है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौके के छाया चित्रों के अवलोकन से उक्त विवादित निर्माण ख.नं. 891 की भूमि में होना परिलक्षित नहीं होता जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता। अम्बेडकर सामुदायिक भवन की शिलान्यास पट्टिका कुए के बांयीं तरफ स्थित है जबकि उक्त कुए के ठीक सामने की सारण की भूमि रिक्त दर्शित है जिसमें किसी प्रकार निर्माण होना या अप्रार्थी नगरपालिका रतननगर द्वारा किया जाना प्रत्यक्ष नहीं है। जिससे प्रार्थी के हितों को किसी प्रकार की क्षति होना जाहिर नहीं होती है। जब प्रार्थी की भूमि में किसी प्रकार का निर्माण ही नहीं किया गया है तो प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

नगरपालिका रतननगर द्वारा अम्बेडकर सामुदायिक भवन का निर्माण सार्वजनिक हितार्थ किया जा रहा है जिसका उपयोग आम नागरिकों की सुविधा के लिए होना है। इसलिए आमजन के हितार्थ किये जा रहे निर्माण कार्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार का स्थगन आदेश ऐसी स्थिति में जारी किया जाना यह न्यायालय उचित नहीं मानता जहां प्रार्थी का हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं होता है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

आदेश

अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

अन्तरिम स्थगन आदेश आज दिनांक 18.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(श्वेता कंवर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू